

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 1778-1789

दिनांक : 22/05/2025

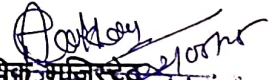
-: कार्यालय आदेश :-

में मौहम्मद आजम, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 1536-1578 दिनांक 29.04.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक परिवर्तन करते हुए दिनांक 24.05.2025 तथा 25.05.2025 के राजपत्रित अवकाशों के दिन कोटा शहर तथा कोटा ग्रामीण की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई के लिये रिमाण्ड ड्यूटी हेतु कॉलम नंबर-2 में अंकित अधिकारी के स्थान पर कॉलम नंबर-3 में अंकित अवकाशों के लिए कॉलम नंबर-4 में अंकित अधिकारी को अधिकृत करता हूं :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी जिनकी ड्यूटी बदलनी है (श्री, श्रीमती, सुश्री)	दिनांक	नाम अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगायी जानी है (श्री, श्रीमती, सुश्री)
1	2	3	4
2	कोमल मण्डल विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम-4 कोटा MB-7727091100	24.05.2025	कनिष्का ऋषि न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (दक्षिण), कोटा MB : 8619390766
3	वीना मोहानानी ए.सी.जे.एम. नंबर-4 कोटा MB : 9829109559	25.05.2025	

नोट:-

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर, कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारीगण करेंगे।

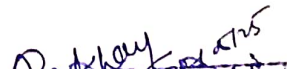

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

क्रमांक: 1778-1789

दिनांक: 22/5/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा
- संबंधित अधिकारी सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री
- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, कोटा (लिंक अधिकारी)
- पुलिस अधीक्षक कोटा शहर/कोटा ग्रामीण वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- सहायक निदेशक, अभियोजन कोटा को इस लेख के साथ कि संबंधित दिनांक को न्यायालय में अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी करें।
- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, कोटा
- जूनियर लिपिक/सहायक नाजिर जिला न्यायालय, कोटा
- नॉडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कम्प्यूटर कमेटी, कोटा
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय कोटा
- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)